रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252042 CG-DL-E-13022024-252042

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945

No. 618]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2024

सं. 60 / 2023

विषयः 'निर्यात मदों 2023 का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)' [आईटीसी (एचएस), 2023 की निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 01—39] की अधिसूचना।

का.आ. 649(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पिटत धारा 3 द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा संलग्न 'निर्यात मदों के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) 2023' [आईटीसी (एचएस) 2023, की अनुसूची 2 के अध्याय 1—39 (निर्यात नीति), की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 1—39 को अधिसुचित करती है।

- 2. आईटीसी (एचएस) 2023 की अनुसूची—2 के अध्याय 1—39 में पूरी की जाने वाली नीतिगत शर्तों, यदि कोई हो, के साथ दर्शायी गई मदों की मौजूदा निर्यात नीति निहीत है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर 'आईटीसी (एचएस) आधारित निर्यात नीति (अध्याय 01—39)' के शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।
- 3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः अनुसूची—2 के अध्याय 01—39 हेतु आईटीसी (एचएस) आधारित निर्यात नीति अधिसूचित की गई है।

> [फा. सं. 01/91/191/121/एएम23/ईसी/ई-35174] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

974 GI/2024 (1)

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2024

No. 60 /2023

Subject: Notification of 'Indian Trade Classification (Harmonised System) of Export Items, 2023' [Chapter 01-39 of Schedule 2, Export Policy of ITC (HS), 2023].

- **S.O. 649(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby notifies Chapter 01-39 of Schedule 2 (Export Policy) of 'Indian Trade Classification (Harmonised System) of Export Items, 2023' [Chapter 01-39 of Schedule 2 (Export Policy) of ITC (HS), 2023] as enclosed in the Annexure to this Notification.
- 2. Chapter 01-39 of Schedule 2 of ITC (HS), 2023 contains current export policy of items indicated along with policy conditions to be fulfilled, if any. The same is available on the DGFT Website (www.dgft.gov.in) under heading captioned 'ITC (HS) based Export Policy (Chapter 01-39)'.
- 3. This shall come into force with immediate effect.

Effect of This Notification: ITC (HS) based Export Policy for Chapter 01-39 of Schedule 2 is notified.

[F. No. 01/91/191/121/AM23/EC/E-35174]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.